सर्कुलर यात्रा टिकट

सामान्य जानकारी:

यदि आप कई स्थानों की तीर्थ-यात्रा या दर्शनीय-स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो भारतीय रेल आपको सर्कुलर यात्रा टिकट की सुविधा उपलब्ध कराता है। ये टिकट आपको एक अनोखी यात्रा सुविधा उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये टिकट उन सभी यात्राओं (नियमित मार्गों को छोड़कर), जो जिस स्टेशन से आरंभ होती हैं उसी पर समाप्त होती हैं, के लिए जारी किए जाते हैं। सर्कुलर टिकट किसी भी श्रेणी में यात्रा करने के लिए खरीदे जा सकते हैं। इन टिकटों पर अधिकतम आठ यात्रा-विरामों की अनुमति है। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा मानक सर्कुलर यात्रा टिकट भी जारी किएजाते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें प्रसिद्ध गंतव्यों को शामिल किया जाता है। इन टिकटों के लिए मार्ग, किराया आदि का विवरण प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में नामित स्टेशनों से प्राप्त किया जा सकता है। आप ये टिकट खरीद सकते हैं, यदि इन मानक मार्गों में से कोई भी आपकी सुविधानुसार है अन्यथा आप अपने यात्रा-विवरण की जानकारी क्षेत्रीय रेलवे को देकर आवश्यकतानुसार सर्कुलर यात्रा टिकट बनवा सकते हैं।.

सर्कुलर यात्रा टिकट के लाभ :

सर्कुलर यात्रा टिकट से आप टेलिस्कोपिक दरों का लाभ उठाते हैं, जो नियमित प्वाइंट-टू-प्वाइंट किराये से काफी कम होता है। इन टिकटों से न केवल समय की बचत होती है बल्कि यात्रा के प्रत्येक चरण में टिकट बुक कराने की परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती।

सर्कुलर यात्रा टिकट बुक कराने की प्रक्रिया :

1. यात्रा मार्ग तय कर लेने के बाद, कुछ प्रमुख स्टेशनों, जिनमें यात्रा आरंभ करने वाला स्टेशन शामिल है, के मंडल के मंडल वाणिज्य प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद मंडल वाणिज्य प्रबंधक या स्टेशन के अधिकारी आपके यात्रा-विवरण के आधार पर टिकटों की कीमत का आकलन करेंगे। वे वहां के स्टेशन प्रबंधक को भी निर्धारित फदेंगे;ामेट में इसकी जानकारी देंगे
2. आप जिस स्टेशन से यात्रा करना चाहते हैं, वहां के टिकट-घर से, इस फार्म को प्रस्तुत करके, सर्कुलर यात्रा टिकट खरीद सकते हैं। सर्कुलर यात्रा टिकट खरीद लेने के बाद, आप यात्रा के विभिन्न चरणों के लिए सीट/शायिका आरक्षित कराने के लिए आरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आपको यात्रा के लिए आरक्षित यात्रा टिकट जारी किया जाएगा।
3. दक्षिण रेलवे द्वारा कोई मानक सर्कुलर यात्रा टिकट जारी नहीं किया जाता। दक्षिण रेलवे द्वारा केवल यात्री द्वारा दिए गए यात्रा-विवरण के आधार पर केवल गैर-मानक सर्कुलर यात्रा टिकट जारी किएजाते हैं। सर्कुलर यात्रा टिकट के लिए प्रभार दो एकल-यात्राओं की दूरी के बराबर वसूल किए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक एकल-यात्रा की दूरी को कुल दूरी का आधा समझा जाता है।
4. न्यूनतम 1000 कि.मी. की यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को सर्कुलर यात्रा टिकट की कीमत पर 30% की छूट दी जाती है।